

डिकी बगूकदगें इबादाई
 (आदेश 20 नियम 6,7 जाका दीवानी)
 अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-झाड़ेली
 मु0न0१६०/2018

वादीगण-

1. अणदाराम
2. शंकरलाल
3. भूराराम
4. रामुराम पुत्रगण नथूराम जातियान नायक निवासीगण झाड़ेली तहसील जायल जिला नागौर।

राजस्व लोक अदालत अभियान
स्याय आपके द्वार-2018

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. नथूराम पुत्र नानुराम
2. संतोष पुत्री नाथूराम जातियान नायक निवासीगण झाड़ेली तहसील जायल व जिला नागौर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88
 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-20.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुकम दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी अणदाराम के हक वंट में मौजा झाड़ेली का खेत ख नं 149 रकवा 13.08 बीघा में से 7.16 बीघा दक्षिणी रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी शंकरलाल के हक वंट में मौजा झाड़ेली का खेत ख नं 203 रकवा 10 बीघा पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी भुराराम के हक वंट में मौजा झाड़ेली का खेत ख नं 149 रकवा 04.12 बीघा उत्तरी, ख नं 150 रकवा 13 बीघा मे से 4.04 बीघा दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी रामुराम के हक वंट में मौजा झाड़ेली का खेत ख नं 150 रकवा 13 बीघा मे से 8.16 बीघा उत्तरी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सामलाती हक वंट में मौजा झाड़ेली का खेत ख नं 149 रकवा 13.08 बीघा में से 1 बीघा प्रतिवादी भुराराम के चिपता हुआ भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।
 लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमे मे मुद्द व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख तारीख वसूल योगे तक x को अदा करें। बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20.06.2018 को जारी किया गया।

<p>मुकद</p> <p>रटाम अणदाराम</p> <p>रटाम शंकरलाल</p> <p>रटाम भुराराम</p> <p>मेहनताना यकील</p> <p>खर्चा गवाहन</p> <p>फीस कमीनर</p> <p>बाबत इजराय हुसमीजान</p> <p>मुतफरिफ</p>	<p>रुपये</p> <p>राजस्व लोक अदालत</p> <p>जायल (नागौर)</p>	<p>मुकदमा</p> <p>रटाम अजी</p> <p>मेहनताना यकील</p> <p>खर्चा गवाहन</p> <p>फीस कमीनर</p> <p>बाबत इजराय हुसमीजान</p> <p>मुतफरिफ</p>	<p>(सुरेंद्र प्रसाद)</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, जयल</p> <p>जिला नागौर</p>
--	--	--	---

नोट - इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को घाह के जरिये दिलाया गया हो या नही करना चाहिये

बन्च सदस्य
राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर